राष्ट्रपति (President)

* परिचय
* राष्ट्रपति का निर्वाचन
* राष्ट्रपति पद की योग्यताएं
* राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण एवं कार्यकाल
* पदावधि एवं महाभियोग
* राष्ट्रपति की शक्तियां व कर्तव्य
* राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
* राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति
* राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति

परिचय : राष्ट्रपति, भारत राज्य का प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता व सुदृढ़ता का प्रतीक है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। भारत में संसदात्मक प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाममात्र का प्रधान है जबकि मंत्रिपरिषद वास्तविक अथवा कार्यपालिका के संचालक होती है। औपचारिक प्रधान होने के बावजूद इसका पद एकता का प्रतीक है। इसकी स्थिति वैधानिक प्रधान की तरह है फिर भी भारत में इसका पद एक धुरी के समान है जो संकट के समय संवैधानिक तंत्र को सुरक्षा प्रदान करता है।

योग्यताएं : राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति की निम्न योग्यताएं आवश्यक है।

(i) वह भारत का नागरिक हो
(ii) वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
(iii) वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो।
(iv) वह केन्द्र एवं राज्य सरकार में नौकरी में लाभ के पद पर न हो।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम-से-कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिये

राष्ट्रपति का निर्वाचन : भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है:

1. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
2. राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य
3. केन्द्रशासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।

Scanned with CamScanner

एकल संक्रमणीय पद्धति :

संसद तथा राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) द्वारा होता। इस चुनाव में मतदान करते गुप्त मतदान द्वारा होता और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा (Quota) प्राप्त करना आवश्यक होता। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए यह सूत्र अपनाया जाता है -

$$\text{न्यूनतम कोटा} = \frac{\text{दिये गये मतों की संख्या}}{\text{निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या}} + 1$$

न्यूनतम कोटा की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि अल्पमत वाले भी राष्ट्रपति पद प्राप्त न कर सकें। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत गुप्त मतदान द्वारा होता है। किसी उम्मीदवार को, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए, मतों का निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक है। मतों का यह निश्चित भाग, कुल वैध मतों को निर्वाचित होनेवाले कुल उम्मीदवारों की संख्या में 1 जोड़कर प्राप्त संख्या द्वारा, भाग देने पर भागफल में एक जोड़कर प्राप्त होता है।

निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मतपत्र दिया जाता है। मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी पसंद 1, 2, 3, 4 अंकित करनी होती है। प्रथम चरण में, प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है यदि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है तो वह निर्वाचित घोषित हो जाता है अन्यथा मतों के स्थानान्तरण की प्रक्रिया अपनायी जाती है। प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करनेवाले उम्मीदवार के मतों को रद्द कर दिया जाता है तथा द्वितीय वरीयता के मत अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों में स्थानान्तरित कर दिये जाते हैं, यह प्रक्रिया तबतक चलती है जबतक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर लेता।

संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो साथ ही राज्यों तथा संघ के बीच भी समानता हो। इसे प्राप्त करने के लिए, राज्य विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निर्धारित की जाती है।

(1) प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या, उस राज्य की जनसंख्या को, उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर

प्राप्त होती है। सूत्र के अनुसार,

एक विधायक के मत का मूल्य = राज्य की कुल आबादी / राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित कुल सदस्य × 1/1000

(2.) संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या, सभी राज्यों के विधायकों की मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है

एक संसद सदस्य के मतों का मूल्य = सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य / संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या

राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जाँच और फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है।

राष्ट्रपति द्वारा शपथ-ग्रहण : राष्ट्रपति पद ग्रहण करते वक्त प्रत्येक व्यक्ति को अपने पद में राष्ट्रपति शपथ लेकर के - मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा. संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और भारत की जनता की सेवा में अपना समय लगाऊँगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है

राष्ट्रपति पद की शर्तें

(i) वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पदग्रहण करने से पूर्व इस्तीफा देना होगा।
(ii) वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
(iii) उसे बिना किराया चुकाये राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा।

2008 में, संसद ने राष्ट्रपति का वेतन 50,000 से बढ़ाकर 150 हजार रुपये प्रतिमाह तथा पेंशन वेतन का आधी कर दी गई। लोकसभा चुनाव से पूर्व मोदी सरकार ने आखिरी बजट में राष्ट्रपति की नौकरी बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया। नौकरी बढ़ोतरी होने पर उनका वेतन 5,00,000 लाख रुपये प्रति माह हो जायेगा।

पदावधि : राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। हालाँकि वह अपने कार्यकाल में किसी भी समय त्यागपत्र उप-राष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति उस पद पर पुनः निर्वाचित हो सकता है। अमेरिका में एक व्यक्ति दो बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता।

Scanned with CamScanner

राष्ट्रपति पर महाभियोग: संविधान की धारा 61 के अनुसार, राष्ट्रपति पर 'संविधान का उल्लंघन' करने पर महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किये जा सकते हैं। इन आरोपों पर सदन के एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। महाभियोग का प्रस्ताव दो-तिहाई बहुमत से पारित होने के पश्चात उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन इन आरोपों की जाँच करता है और महाभियोग का प्रस्ताव दो-तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है।

यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा किसी कारणों से रिक्त हो जाता है तो उप राष्ट्रपति नये राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

~~राष्ट्रपति~~ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।

(1) **कार्यपालिका तथा प्रशासनिक शक्तियाँ**:

(I) भारत सरकार के सभी शासन एवं कार्य राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं। प्रधानमंत्री का यह आवश्यक कर्तव्य है कि मंत्रिमंडल के निर्णयों से राष्ट्रपति को सूचित करे।

(II) वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तथा वे उसकी प्रसादपर्यंत कार्य करते हैं।

(III) वह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है तथा उसके वेतन आदि निर्धारित करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद पर कार्य करता है।

(IV) वह भारत के महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य एवं अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्य के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है।

(V) राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय पर पुनर्विचार माँग सकता है जो किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया जाता है।

(VI) वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है।

Scanned with CamScanner

(vii) राष्ट्रपति केन्द्र-राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य समस्या के लिए अन्तर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कर सकता है।

(viii) राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातियों क्षेत्रों की प्रशासन की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

(2) **विधायी शक्तियाँ:** अनुच्छेद 79 के अन्तर्गत राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। इसलिए राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं —

(I) राष्ट्रपति को दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाने व स्थगित करने का अधिकार है। वह लोकसभा को भंग कर सकता है।

(II) राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन में भाषण दे सकता है और संदेश भेज सकता है।

(III) राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और ... साहित्यिक क्षेत्र के लिए नामजद करता है।

(IV) वित्तीय विधेयक को छोड़कर अन्य साधारण विधेयकों को लौटा सकता है या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है।

(V) जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका वही प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित विधि का होता है।

(VI) राज्यों के संबंध में राष्ट्रपति को कुछ विधायनी शक्तियाँ प्राप्त हैं। कुछ विधेयक राज्य विधानमंडल में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही पेश हो सकता है। कुछ विधेयकों को राज्यपाल, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है।

(3) **वित्तीय शक्तियाँ:** राष्ट्रपति को कुछ वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं —

(I) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष बजट रखने की अनुमति देता है।

(II) राष्ट्रपति की अनुमति से ही कोई भी धन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है।

(III) राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में पूरक अथवा अनुदानों की मांगें की जा सकती हैं।

(IV) भारत की आकस्मिक निधि पर भी राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है।

(V) राष्ट्रपति संघ और राज्यों में वित्तीय संबंधों के लिए आयोग नियुक्त कर सकता है।

Scanned with CamScanner

(4) **न्यायिक शक्तियाँ**, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ इस प्रकार हैं —

(i) वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों एवं अन्य न्यायाधीशों, व उच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।

(ii) वह उच्चतम न्यायालय से किसी विधि पर सलाह ले सकता है।

(iii) वह किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति को माफ या परिवर्तित कर सकता है। दण्ड में सहायता, आदेश को स्थगित कर सकता है।

(iv)

(5) **कूटनीतिक शक्तियाँ**, अन्तर्राष्ट्रीय संधियों व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किये जाते हैं इसके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। वह अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और कूटनीतिज्ञों को भेजता तथा उनका स्वागत भी करता है।

(6) **सैन्य शक्तियाँ**: राष्ट्रपति सेना सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति थल सेना, जल व वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। वह युद्ध की समाप्ति की घोषणा करता है किन्तु वह संसद की अनुमति से होता है।

(7) **आपातकालीन शक्तियाँ**: राष्ट्रपति की शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण आपातकालीन शक्तियाँ हैं। यदि राष्ट्रपति चाहे तो इन शक्तियों के प्रयोग से वह देश में एकात्मक शासन की स्थापना कर सकता है। राष्ट्रपति नागरिकों के मूल अधिकारों को भी स्थगित कर सकता है। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबन्धों की व्यवस्था है —

(A) **युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण**:

यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाये कि गंभीर आपात विद्यमान है जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण से भारत की सुरक्षा संकट में है तो वह सम्पूर्ण देश में या किसी राज्य क्षेत्र में आपात की उद्घोषणा कर सकता है।

~~संविधान के अनुच्छेद 355~~

उद्घोषणा के ~~संवैधानिक~~ संवैधानिक प्रभाव:

(i) संसद को सम्पूर्ण देश के लिए प्रत्येक विषय पर कानून बनाने का अधिकार होगा। (अनुच्छेद-353 ख)

(ii) संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई 6 स्वतंत्रताओं को ~~स्वतः~~ स्थगित किया जा सकता है

Scanned with CamScanner

(11) राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा अनुच्छेद 32 में उल्लिखित संवैधानिक उपचारों के अधिकार को स्थगित कर सकता है।

(12) लोकसभा आपातकाल की स्थिति के दौरान अपना कार्यकाल एक वर्ष बढ़ा लेने का अधिकार है यानि ऐसी घोषणा समाप्त होने के बाद 6 माह तक पुरानी संसद कार्य कर सकेगी।

(B) **राज्यों में आपातकाल की घोषणा:** संविधान के अनुच्छेद 355 के द्वारा केन्द्रीय सरकार को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह राज्यों की बाहरी आक्रमणों व आंतरिक अशांति से रक्षा करे और यह देखे कि राज्यों का शासन संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं। अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को किसी राज्यपाल रिपोर्ट से कि राज्य में संविधान के अनुसार शासन चलना असंभव हो गया है तो राष्ट्रपति उस राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है।

राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति व विधानमंडल शक्तियों का प्रयोग केन्द्र करेगा। राष्ट्रपति राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार को छोड़कर अन्य सभी अधिकार स्वयं धारण कर सकता है। राष्ट्रपति नागरिकों के स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकार स्थगित कर सकता है।

(C) **वित्तीय आपात की घोषणा:** अनुच्छेद 360 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाये कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि भारत की वित्तीय स्थिरता को खतरा पैदा हो गया है तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है।

राष्ट्रपति संघ और राज्य की सेवा में कार्यरत सभी वर्गों के कर्मचारियों की (उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) वेतन एवं भत्तों में कटौती करने का आदेश दे सकता है।

राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति

संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के अवकाशकाल की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। लोकसभा के नियम के अनुसार जब कोई विधेयक किसी अध्यादेश का स्थान लेने के लिए सदन में प्रस्तुत किया जाता है। अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब वह संतुष्ट हो जाए कि मौजूदा परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उसके लिए तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है। अध्यादेश उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। अध्यादेश किसी भी मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकता।

Scanned with CamScanner

राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति :

संविधान में भारत का संसदीय शासनीय है। फलस्वरूप राष्ट्रपति कार्यकारी प्रधान होता है। परन्तु शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। डा० अम्बेडकर ने राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति के बारे में बताया कि भारतीय संविधान में भारतीय संघ के कार्यकलापों का एक प्रमुख होगा, जिसे संघ का राष्ट्रपति कहा जायेगा।

भारतीय व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। अमेरिका की राष्ट्रपति व्यवस्था में कार्यकारी व प्रशासनिक शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं। भारतीय संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटिश संविधान में राजा व रानी की है। वह राष्ट्र का प्रमुख होता है, पर कार्यकारी नहीं होता। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, उस पर शासन नहीं करता है। वह राष्ट्र का प्रतीक है अथवा एक मुहर के रूप में है जिसके नाम पर राष्ट्र के निर्णय लिए जाते हैं। वह मंत्रिमंडल की सलाह पर चलता है। वह उसकी सलाह के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। USA की राष्ट्रपति किसी भी सचिव को हटा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है जब तक कि मंत्रियों को संसद में बहुमत है।

— x —

Girijesh Singh, Asst. Professor
Dept: Political Science
R.N. College, Pandaul, Madhubani
Class - Deg - II (Hons)
Paper - III
Topics - President (The Union Executive)
Date : 27.04.2020